

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/members.

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) वर्ष 2016-2017 के लिए गृह मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खण्ड-1)।

[Placed in Library, See No. LT 4370/16/16]

(2) वर्ष 2016-2017 के लिए गृह मंत्रालय (विधानमंडल रहित संघ राज्यक्षेत्र) की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खण्ड-11)।

[Placed in Library, See No. LT 4371/16/16]

(3) वर्ष 2016-2017 के लिए गृह मंत्रालय का परिणामी बजट।

[Placed in Library, See No. LT 4372/16/16]

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सावर ताल जाट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सुश्री उमा भारती की ओर से वर्ष 2016-2017 के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 4373/16/16]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[Placed in Library, See No. LT 4374/16/16]

(दो) वर्ष 2016-2017 के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का परिणामी बजट।

[Placed in Library, See No. LT 4375/16/16]

(तीन) वर्ष 2016-2017 के लिए उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का परिणामी बजट।

[Placed in Library, See No. LT 4376/16/16]

(2) (एक) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्जाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4377/16/16]

(4) चीनी उप-कर अधिनियम, 1982 की धारा 6 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ. 258(अ) जो 28 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 के प्रयोजनार्थ भारत के किसी भी चीनी कारखाने में विनिर्मित सभी चीनी पर प्रति विवंटल 124 रु0 की दर से उप-कर का उदग्रहण और संग्रहण किया जाएगा।

(दो) का.आ. 259(अ) जो 28 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 फरवरी, 2016 को चीनी उप-कर अधिनियम, 1982 के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 4378/16/16]

(5) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2016 जो 13 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 23(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4379/16/16]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) वर्ष 2016-2017 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[Placed in Library, See No. LT 4380/16/16]

(2) वर्ष 2016-2017 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का परिणामी बजट।

[Placed in Library, See No. LT 4381/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (RAO INDERJIT SINGH): I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Planning for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4382/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): I beg to lay on the Table:--

(1) A copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Ministry of AYUSH for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4382A/16/16]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council of Homoeopathy, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council of Homoeopathy, New Delhi, for the year 2014-2015.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 4383/16/16]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi, for the year 2014-2015.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

[Placed in Library, See No. LT 4384/16/16]

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्री सर्वानन्द सोनोवाल की ओर से वर्ष 2016-2017 के लिए युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 4385/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): I beg to lay on the Table:--

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation Limited, Port Blair, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation Limited, Port Blair, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 4386/16/16]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Environment Education, Ahmedabad, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Environment Education, Ahmedabad, for the year 2014-2015.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 4387/16/16]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the C.P.R. Environmental Education Centre, Chennai, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government C.P.R. Environmental Education Centre, Chennai, for the year 2014-2015.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 4388/16/16]

(7) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4389/16/16]

(8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986:-

(i) The Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2016 published in Notification No. S.O.189(E) in Gazette of India dated 20th January, 2016.

(ii) The e-waste (Management and Handling) Amendment Rules, 2015 published in Notification No. S.O.745(E) in Gazette of India dated 13th March, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 4390/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL): I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Coal for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4391/16/16]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) दमन और दीव पंचायत विनियम, 2012 की धारा 123 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) दमन और दीव ग्राम पंचायत के उप-सरपंच तथा जिला पंचायत के प्रेसिडेंट और वाइस-प्रेसिडेंट का निर्वाचन नियम, 2013 जो 20 जून, 2013 के दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 20 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दमन और दीव जिला पंचायत (बैंक) नियम, 2013 जो 26 जुलाई, 2013 के दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 28 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4392/16/16]

(3) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ. 3520(अ) जो 28 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के प्रयोजनार्थ सिटी सिविल तथा सत्र न्यायालय, बाम्बे को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया

- गया है।
- (दो) का.आ. 398(अ) जो 8 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के प्रयोजनार्थ सिटी और अपर सत्र न्यायाधीश ग्रेटर बम्बे श्री विजय वेंकटराव पाटील द्वारा पीठासीन सिटी सिविल तथा अपर सत्र न्यायाधीश ग्रेटर बम्बे को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (तीन) का.आ. 399(अ) जो 8 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम/ आतंकवादी क्रियाकलापों का निवारण अधिनियम (टाडा/पोटा) के अंतर्गत पदाविहित जम्मू और श्रीनगर के न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (चार) का.आ. 400(अ) जो 8 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत जिला और सत्र न्यायाधीश, मणिपुर, ईस्ट इम्फाल को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (पाँच) का.आ. 149(अ) जो 16 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश, सिटी सत्र न्यायालय, कलकत्ता को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (छह) का.आ. 3521(अ) जो 28 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कार्य संचालन के लिए अपर सत्र न्यायाधीश-01, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विशेष न्यायालय में अपर न्यायाधीश अर्थात् जिला न्यायाधीश-चार-सठ प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली पुलिस जिला, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली के रूप में नियुक्त किया गया है।
- (सात) का.आ. 3522(अ) जो 28 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2874(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 4393/16/16]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2016-2017 के लिए उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 4394/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI G.M. SIDDESHWARA): I beg to lay on the Table:--

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

- (a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Sambhar Salts Limited, Jaipur, for the year 2014-2015.
- (ii) Annual Report of the Sambhar Salts Limited, Jaipur, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 4395/16/16]

- (b) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Hindustan Salts Limited, Jaipur, for the year 2014-2015.

- (ii) Annual Report of the Hindustan Salts Limited, Jaipur, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 4396/16/16]

- (c) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Heavy Engineering Corporation Limited, Ranchi, for the year 2014-2015.

- (ii) Annual Report of the Heavy Engineering Corporation Limited, Ranchi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

- (2) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 4397/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): I beg to lay on the Table:--

- (1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Road Transport and Highways for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4398/16/16]

- (2) Outcome Budget of the Ministry of Road Transport and Highways for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4399/16/16]

- (3) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Shipping for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4400/16/16]

- (4) Outcome Budget of the Ministry of Shipping for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4401/16/16]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर डि विजुअली हैंडिकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर डि विजुअली हैंडिकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4402/16/16]

- (3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर डि मेंटली हैंडिकैप्ड, सिकंदराबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर डि मेंटली हैंडिकैप्ड, सिकंदराबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4403/16/16]

- (5) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर डि हियरिंग हैंडिकैप्ड, मुंबई के वर्ष 2014-2015

के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रतिया (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) अती यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि डियरिंग हैंडिकैप्ड, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रतिया (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4404/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (DR. SANJEEV BALYAN): I beg to lay on the Table:--

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Section 619A of the Companies Act, 1956:-

- (a) (i) Review by the Government of the working of the Goa Meat Complex Limited, Panjim, for the years 2012-2013 and 2013-2014.
(ii) Annual Report of the Goa Meat Complex Limited, Panjim, for the years 2012-2013 and 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 4405/16/16]

(b) (i) Review by the Government of the working of the West Bengal Livestock Development Corporation Limited, Kolkata, for the year 2014-2015.

- (ii) Annual Report of the West Bengal Livestock Development Corporation Limited, Kolkata, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (a) of (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 4405A/16/16]

(3) A copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4406/16/16]

(4) A copy of Notification No. S.O. 156(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 19th January, 2016, making certain amendments in Notification No. S.O. 974(E) dated 14th December, 2010 issued under Section 42 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animal Act, 2009.

[Placed in Library, See No. LT 4407/16/16]

(5) A copy of the Insecticides (Amendment) Rules, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.164(E) in Gazette of India dated 15th February, 2016 under sub-section (3) of Section 36 of the Insecticides Act, 1968.

[Placed in Library, See No. LT 4408/16/16]